COURT FEE INDIA TEN RUPEES Rs.10

(115)

G.P. Nayal Adv. 7-10-17 को

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

7-10-17 प्र0क0 -दो/2017 निगरानी
III-निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/3747

पेशी दिनांक 16-10-17

आगा अली अतहर पुत्र आगा अली अहमद
निवासी दतिया तहसील व जिला दतिया ---- आवेदक

विरूद्ध

गुलाम अब्बास पुत्र याकूब हुसैन
मृत वारिस
अ– तलत नवी ब– राहत नवी
दोनों पुत्रियां स्व. याकूव हुसैन
निवासी दतिया तहसील व जिला दतिया ----अनावेदकगण

Noted 16.10.17

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – तहसीलदार, तहसील दतिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 39 अ–6–अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14–9–2017 के विरूद्ध)

7.10.17 G.P. Nayal Adv.

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि मौजा दतिया गिर्द तहसील दतिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1776/2874, 1776/2875 कुल किता 2 कुल रकबा 2.66 हैक्टर विवादित रकबा है, जो आवेदक की भूमि है हुये भी शासकीय अभिलेख में अनावेदकगण के नाम से दर्ज किया गया है , क्योंकि तहसीलदार दतिया ने प्रकरण क्रमांक अ 46/1984–85 में पारित आदेश दिनॉक 11–[illegible] से आवेदक को विवादित रकबे का सिकमी कास्तकार घोषित किया था, इस आदेश के अमल हेतु आवेदक ने तत्कालीन पटवारी को प्रति दे दी थी एंव पटवारी ने अमल का आश्वासन दिया था। आवेदक कम पढ़ा लिखा है एंव कानून की जानकारी से अनभिज्ञ है। आवेदक यही समझता रहा कि आवेदक के नाम का अमल हलका पटवारी ने कर दिया है, किन्तु पटवारी ने जानबूझकर अनावेदकगण को अनुचित लाभ देने के लिये आवेदक के नाम का विवादित भूमि पर अमल नहीं किया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./दतिया/भू.रा./2017/3747

आगा अली विरुद्ध गुलाम अब्बास (मृत) वारिसान तलत नबी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-39/अ-6-अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14/09/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 31/5/19 सदस्य	